तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर धारा 212 RT Act मु. नं. 2/33 ता. रज्जू : 1-5-17 **उनवान : चम्मन देवी V/s रामजीलाल**	
23.8.17	वादीया ने वाद पत्र के साथ वाद प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act का पेश किया। वाद प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया। वादिया का वाद प्रा. पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी ख. नं. 170 रक्बा 0.67, 171/0.02, 178/0.06, 189/0.56, 194/1.33, 262/0.16 किता 6 रक्बा 4.63 है. वाके ग्राम खारेडा तह. मालाखेडा जिला अलवर के आराजी मुतनाजा के 1/2 भाग के मिन वादीया व असल प्रतिवादी सं. 1, 2, के पिता श्री रघोनाथ पुत्र छाज्या व शेष 1/2 भाग के असल प्रतिवादी सं. 3, 4, रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। रघोनाथ पुत्र छाज्या की मृत्यु हो चुकी है। जिसके मिन वादीया व असल प्रतिवादी सं 1, 2, जायज कानूनी वारिसान पुत्र / पुत्रीयान है अन्य कोई वारिस नही है, मृतक रघोनाथ जी के 1/2 भाग पर समभाग रूप से मिन वादीया व असल प्रतिवादी संख्या 1, 2, काबिज काश्तकार चले आ रहे है। मृतक रघोनाथ जी का विरासत इन्तकाल असल प्रतिवादी सं. 1 ने कथित वसीयत की आड मे इन्तकाल न. 872 दि 5.4.2017 को खुलवा लिया। वादीया व असल प्रतिवादीयान सं. 1 लगायत 4 शामलात तौर पर काबिज रहकर बदस्तूर कार्य काश्त करते चले आ रहे है। वो भी बिना रोक टोक के विवादित आराजी मौके पर अबट है जिसका आज से पूर्व मे बटवारा नही हुआ है प्रतिवादी सं 1 लगायत 4 एक राय हो गए है वादीया के हिस्से की आराजी हडपने की मंशा से वादीया को उसके कार्य काश्त करने मे बेजा दखल पैदा कर रहे है असल प्रतिवादीगण अज खुद आराजी मुतनाजा को तकसीम कर अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी आराजी भूमि पर वादिया के हिस्सा अनुसार कब्जा नही दे रहे है इसलिए प्रतिवादीगण को ता फैसला वाद जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पेश कर निवेदन किया कि दि. 24.5.17 को कैम्प कोर्ट में स्टे आर्डर कन्फर्म करने के वक्त प्रतिवादी को सुनवाई का मौका नही दिया गया. जिन प्रतिवादी अपना पक्ष रखना चाहता है जवाब देने का चाहता है। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने जवाब में विवादित आराजीयात के ½ भाग का श्योनाथ पुत्र छज्या रिकॉर्ड खातेदार काबिज मालिक रहा यह कहना गलत है कि वादीया व प्रतिवादी सं. 2 श्योनाथ की वारिस पुत्रीयान है। वादीया व प्रतिवादी सं. 2 श्योनाथ की पुत्रीया नही है श्योनाथ की मृत्यू हो चुकी है जिसका एक मात्र वारिस जिन प्रतिवादी है। रजिस्टर्ड वसीयतनामा दि. 31.8.2006 को जिन प्रतिवादी सं. 1 के हक मे की गई जिस वसीयत के आधार पर विरासत इन्तकाल सं. 872 दि. 5.4.17 स्वीकृत हो चुका है प्रतिवादी नं. 1 उक्त विवादित आराजीयात के रिकॉर्ड काबिज खातेदार काश्तकार है रिकॉर्ड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता। वसीयतनामा को चैलेन्ज नही किया गया है। प्रा.पत्र खारिज हो हमने विद्वान अभिभाषकगणों की महत्वपूर्ण जिरह को सुना प्रस्तुत प्रा.पत्र शपथ पत्र, जवाब प्रा.पत्र शपथ पत्र, राजस्व रिकॉर्ड की नकलात का आद्योपान्त अवलोकन किया वादीया वकील ने अपने वाद प्रा.पत्र को दोहराया और बताया कि प्रतिवादी भूमि खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। प्रतिवादी नं. 1 वकील ने अपने जवाब प्रा.पत्र को दोहराते हुए बताया कि जमाबंदी मे रामजीलाल रिकॉर्ड खातेदार है रिकॉर्ड खातेदार के विरुद्ध बटवारे का दावा लाया जा सकता है तथा वादीया श्योनाथ की पुत्री नही है, रजिस्टर्ड वसीयत से नामान्तरण खोला गया है रजिस्टर्ड वसीयत को चुनौती नही दी गई प्रतिवादी वकील ने निम्नांकित नजीरे पेश की — ① RRT 2017 (1) Page 353 S 547 ② RRT 2017 (1) Page 95 ③ RRD 2001 Page 143 ④ RRT 2015 (-) Page 633 ⑤ RRC 1997 Page 394 (3C) ⑥ 2010 (1) RLW Page 578	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपरोक्त समस्त विवेचन से अदालत ने अपनी ओर से कानूनी दृष्टान्त RRD June 2005 पेज 351 उनवान श्रीमती गीता vs श्रीमती जमना में RRD 1965 पेज 120 मे प्रतिपादित किया गया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषय वस्तु को अधिकारी के सम्बन्ध मे निर्णय किए बिना दावे के निर्णय तक वर्तमान स्थिति मे सुरक्षित रखना है तथा विवादित भूमि पर आगे होने वाली किसी सम्भावित क्षति को रोकना है जिससे विवाद और नहीं बढ़े उक्त दृष्टान्तों के प्रकाश मे हमारा मत है कि यदि विवादित भूमि के विक्रय के सम्बन्ध मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई जो विवाद और बढ़ेगा। अतः इस प्रकरण की समग्र परिस्थितियों को देखते हुए हम यह न्यायोचित समझते हैं कि विवादित भूमि को दावे के निर्णय तक ~~[illegible]~~ हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं ~~[illegible]~~ प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन वादिनी के पक्ष में होना प्रकट होता है। वादिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित नहीं है प्रतिवादी रिकॉर्ड खातेदार है, तब तक दावा मे तय नहीं हो जाता तब तक वादिया द्वारा अंकित भूमि अर्थात 1/6 भाग को प्रतिवादी वादीया के 1/6 भाग का बेचान नहीं करना उचित समझते हैं अतः प्रतिवादी नं. 1 को ता दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीया द्वारा दावे प्र. पत्र में अंकित भूमि अर्थात 1/6 भाग को रहन, बेच नहीं करे निर्णय आज दिनांक 23.8.17 को खुले इजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल ले बाद तामील दफ्तर दाखिल होवे	